अ.स.वि.स.
कार्यालय : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, भिण्ड
कलेक्ट्रेट परिसर, भिण्ड (म.प्र.)
मोबा. 9200013048, e-mail : antyabhind@rediffmail.com

क्रमांक / असविस / लेखा / 11–12 / 07 भिण्ड, दिनांक : 07 / 04 / 2011

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी
जिला भिण्ड (म.प्र.)

विषय : हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रचार प्रसार के संबंध में।
संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 413 भिण्ड, दिनाँक 06.04.2011 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारमम्य में इस विभाग द्वारा संचाहित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी जिले की बेवसाईट पर अपलोड की जाना है।

अतएव पत्र के संलग्न जानकारी जिले की बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ताकि आमजन तक इसका ज्ञान एवं प्रचार–प्रसार हो सके।

(श्रीमान् कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

संलग्न : उपरोक्तानुसार प्रपत्र।

कार्यपालन अधिकारी
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित
भिण्ड (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / असविस / लेखा / 11–12 / भिण्ड, दिनांक : / 04 / 2011

प्रतिलिपि :–

1. स्टेनो–टू–कलेक्टर जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन अधिकारी
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित
भिण्ड (म.प्र.)

नस्ती क्रमांक ––––––

अ.स.
वि.स.

कार्यालय : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, भिण्ड
कलेक्ट्रेट परिसर, भिण्ड (म.प्र.)
मोबा. 9200013048, e-mail : antyabhind@rediffmail.com

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भिण्ड अनुसूचित जाति के बेरोजगार सदस्यों को स्वंय के व्यवसाय स्थापित करने हेतु ऋण अनुदान मुहैया कराती है। जिला समिति का कार्यालय जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में है।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं मे आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है –

1. अंत्योदय स्वरोजगार योजना :–

इस योजनान्तर्गत विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण, अनुदान उपलबध कराया जाता है इस योजना के आवेदन पत्र जिला समिति कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है।

पात्रता निम्नानुसार है –

1. आवेदक अनुसूचित जाति का सदस्य हो तथा जिले का मूलनिवासी हो। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)
2. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो।
3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 21000/– एवं शहरी क्षेत्र में रूपये 27000/– तक होनी चाहिए।
4. आवेदक किसी भी बैंक का ऋणी न हो।

उपरोक्त पात्रता रखने वाले सदस्य कार्यालय अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति भिण्ड में अपने आवेदन निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र समिति कार्यालय में जमा होने के बाद सभी प्रकरण परीक्षण के उपरांत बैंकों को प्रेषित किए जाते हैं।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाए :–

जिला अंत्यावसायी समिति द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से मिनी बस, मिनी ट्रक, ट्रेक्टर ट्रॉली, जीप टैक्सी, टाटा मैजिक, टाटा लोडिंग आदि योजनाओं में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वाहन हेतु आवेदक के पास वैद्य ड्रायविंग लायसेंस आवश्यक है। इसके अतिरिक्त माईक्रो क्रेडिट, महिला समृद्धि, महिला किसान योजना एवं सामान्य योजनान्तर्गत स्टील फेब्रीकेशन, स्टील फर्नीचर, चूड़ी व्यवसाय आदि विभिन्न व्यवसायों हेतु राशि 30000/– अथवा 50000/– अथवा 100000/– रुपये तक **ऋण 6% वार्षिक ब्याज** पर उपलब्ध कराया जाता है जिस पर 10000/– अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

पात्रता निम्नानुसार है –

1 आवेदक जिले का निवासी तथा अनुसूचित जाति का (सफाई कामगार परिवार) सदस्य हो।

2 आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 50000/– तथा ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 45000/– से अधिक न हो। (प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी का मान्य होगा।

3 आवेदक किसी बैंक या संस्था का ऋणी न हो एवं आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच हो।

उक्त पात्रता रखने वाले सदस्य आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में सम्पूर्ण जानकारी अंकित करते हुए आय, जाति, मूलनिवासी, शैक्षणिक योग्यता, ड्रायविंग लायसेंस आदि प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी संलग्न करके आवेदन पत्र जिला समिति में लक्ष्य प्राप्त होने के उपरान्त जमा कर सकते हैं।

कार्यपालन अधिकारी
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित
भिण्ड (म.प्र.)

नस्ती क्रमांक ————

अ. स. वि. स.

कार्यालय : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, भिण्ड
कलेक्ट्रेट परिसर, भिण्ड (म.प्र.)
मोबा. 9200013048, e-mail : antyabhind@rediffmail.com

राज्य शासन द्वारा घोषित छः अभिनव योजनायें

1. संत रविदास आवास निर्माण–सह कार्यशाला :–

यह योजना वर्ष जुलाई 2007 से प्रारम्भ हुई है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उपयुक्त व्यवसायिक स्थल पर व्यवस्थित आवास सह–कार्यशाला उपलब्ध कराना है। ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के कमजोर व्यक्तियों को निवास एवं स्वरोजगार के लिये उपयुक्त स्थल भी उपलब्ध होगा। राज्य शासन द्वारा इस योजनान्तर्गत 25 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है योजना की कुल लागत 2 लाख रूपये तक होगी।

पात्रता :–

1 आवेदक जिले का मूलनिवासी होकर अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
2 आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
3 आवास सह–कार्यशाला निर्माण के लिये स्वयं की भूमि स्थाई पट्टा अथवा शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि हो।

2. दीनदयाल मार्केट विकास योजना :–

यह योजना वर्ष जुलाई 2007 से प्रारम्भ हुई है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रिटेल व्यवसाय के लिये ग्रामीण क्षेत्र/नगर पंचायत एवं हाईवे एवं विकासशील पंचायत एवं गांवों में उपयुक्त व्यवसायिक स्थल सेवा क्षेत्र के व्यवसायों के क्रय/विक्रय के लिये स्थल उपलब्ध कराया जाता है तो इस क्षेत्र में व्यवसायिक सफलता के साथ – साथ स्वरोजगार की सफलता की अच्छी संभावना हो सकती है योजनान्तर्गत 10X10 की जगह उपलब्ध कराकर छोटी–पक्की दुकानों का निर्माण कर व्यवसायिक परिसर स्थल विकसित कराना है। योजनान्तर्गत प्रत्येक हितग्राही को रूपये 50000/– (पचास हजार) की राशि ऋण उप उपलब्ध कराई जाती है जिस पर 25000/– (पच्चीस हजार रूपये) की राशि अनुदान दी जाती है।

पात्रता :–

1 आवेदक जिले का मूलनिवासी होकर अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
2 आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
3 आवेदक की न्यूनतम योग्यता 8वी उत्तीर्ण हो।
4 निगम की प्रचलित योजनओं में पात्रता रखता हो।
5- हितग्राही के पास स्वयं की भूमि हो।

3. बहिन निवेदिता स्व–सहायता समूह योजना :–

यह योजना वर्ष जुलाई 2007 से प्रारम्भ हुई है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं सफाई कामगार महिलाओं/विधवा/विकलांग/परित्यक्ता महिलाओं के स्व–सहायता समूह गठित कर उन्हें राष्ट्रीय निगमों की महिला समृद्धि योजना एवं निगम की प्रस्तावित योजनान्तर्गत लघु/कुटीर उद्योग, पशुपालन/हस्तशिल्प व्यवसाय इत्यादित हेतु प्रशिक्षण वित्त पोषण एवं विकास में सहायता कर आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा में लाना है। योजनान्तर्गत समूह के प्रत्येक आवेदक को 25000/– तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिस पर 10000/– रूपये अनुदान की पात्रता होगीं

नस्ती क्रमांक ––––––

पात्रता :–

1 आवेदक जिले का मूलनिवासी होकर अनुसूचित जाति/सफाई कर्मचारी वर्ग की महिलायें पात्र होंगी।

2 आवेदकों की आय सीमा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति निगम/राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त निगम/विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तें लागू होगीं।

4. अंत्योदय मार्केटिंग प्रोत्साहन योजना :–

यह योजना वर्ष 2007 से प्रारम्भ हुई है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यवसायियों के लिये देश में लगने वाले विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय मेला/प्रदर्शनी/हाट/बाजारों में भेजकर मार्केट सुविधा उपलब्ध कराकर प्रोत्साहन करना है। योजनान्तर्गत प्रत्येक हितग्राही को मार्केट में आने–जाने हेतु 200/– रूपये प्रतिदिन भत्ता दिया जायेगा। तथा मेला स्थल तक सामाग्री ले जाने–लाने के लिये नियमानुसार/पात्रतानुसार व्यय रसीद प्रस्तुत करने पर राशि 10000/– तक का व्यय करने हेतु प्रावधान है।

पात्रता :–

1 आवेदक जिले का मूलनिवासी होकर अनुसूचित जाति वर्ग का हो।

2. आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।

3. आवेदक की न्यूनतम योग्यता 8वी उत्तीर्ण हो।

4 आवेदक इस निगम द्वारा वित्त पोशित लाभार्थी हो।

5. डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना :–

यह योजना वर्ष 2007 से प्रारम्भ हुई है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को निगम द्वारा संचालित समस्त स्वरोजगार मूलक योजनाओं जैसे – अंत्योदय स्वरोजगार/राष्ट्रीय निगमों से वित्त पोषित योजनाओं में चयनित हितग्राहियों को ऋण वितरण के पूर्व चयनित व्यवसाय के सफल संचालन के लिये उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत अल्प अवधि प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण में कुल 2000/– प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर खर्च किया जाता है जिसमें प्रशिक्षण दौरान प्रशिक्षणार्थी को राशि 300/– छात्रवृत्ति के रूप में प्रदाय की जाती है एवं राशि 1700/– रूपयें प्रशिक्षण संस्था को मानदेय/अन्य व्यय के रूप में दिये जाते हैं।

पात्रता :–

ऐसे समस्त हितग्राही जिन्हें जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से स्वरोजगार मूलक योजनाओं जैसे अंत्योदय स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय निगमों के वित्त पोशण से क्रियान्वित होने वाली योजनाओं के लिये चयनित किया गया है तथा जिन हितग्राहियों को बैंकों द्वारा ऋण की औपचारिक स्वीकृति दे दी गई है सभी पात्र होगें।

6 सामाजिक न्याय एवं बसूली प्रोत्साहन योजना :–

यह योजना वर्ष 2007 से प्रारम्भ हुई है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को सामाजिक न्याय एवं सम्मान देकर ऋण अदा करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर उनकी प्रतिष्ठा (साख) में वृद्धि करना है।

पात्रता :–

कार्यालय : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, भिण्ड
कलेक्ट्रेट परिसर, भिण्ड (म.प्र.)
मोबा. 9200013048, e-mail : antyabhind@rediffmail.com

1 आवेदक जिले का मूलनिवासी होकर अनुसूचित जाति वर्ग का हो।

2 आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।

3 निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में लिये गये ऋण को निर्धारित समय–सीमा एवं निर्धारित किस्तों में अदा कर दिया हो।

4 योजना में लाभ लेने के लिये गरीबी रेखा के नीचे अथवा गरीबी रेखा से दुगनी या राष्ट्रीय निगमों की पात्रता अनुसार हो।

कार्यपालन अधिकारी
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित
भिण्ड (म.प्र.)